P-237/C

हरियाणा सरकार के पेंशनर्स कर्मचारियों हेतु करें व मत करें की सूची

करें।

1. मुख्यालय सेवानिवृति तिथि के 24 माह पूर्व कर्मचारियों के पेंशन कागजात विधिवत रूप से भरवाना सुनिश्चित करेंगा ।
2. पेंशन कागजातों के तुरन्त प्राप्ति पर सेवा पंजिका/अभिलेख के सत्यापन /पूरा करने हेतु कार्यवाही करनी होगी ।
3. सेवानिवृति कर्मचारी के नाम देय लम्बी अवधि के अग्रिमों /वसूलियो को समय पर अन्तिम रूप देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ।
4. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शीघ्र जॉच हेतु प्रभावी कदम उठायें , यदि कर्मचारी के विरूद्व कोई मामला लम्बित है ।
5. राजपत्रित अधिकारी की स्थिति में सेवा निवृति की तिथि के 1 वर्ष पूर्व सतर्कता विभाग से सेवा निवृत अधिकारी के पक्ष में अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सरकार को लिखा जाना चाहिए ।
6. यदि कर्मचारी सरकारी आवास को स्वीकार्य 4 महीने के लिए रखना चाहता /चाहती है, तो सेवानिवृति की तिथि के बाद उसकी सहमति के उपरांत अदेय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उससे लाईसेंस फीस अग्रिम में जमा करवाई जाए ।
7. सेवानिवृति के एक वर्ष पूर्व प्रमाण पत्र व रिर्पोट (सी.आर) जारी करने हेतु मामला इस कार्यालय में भेज दिया जाना चाहिए ।
8. पेंशन मामला , महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रमाण पत्र व रिर्पोट में लगाई गई आपत्तियों के उन्मूलन (निवारण) के बाद सेवानिवृति के एक माह पूर्व पुनः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. यदि किसी कर्मचारी के विरूद्व विभागीय/न्यायिक सुनवाई लम्बित है तो उसे अस्थाई पेंशन जारी करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा को मामला कम से कम 6 माह पूर्व भेज दिया जाना चाहिए

मतें करें ।

1. पेंशन कागजात में सेवा पंजिका में दर्ज नाम से भिन्न (अलग) नाम न लिखें ।
2. सेवानिवृत कर्मचारी की सेवा पंजिका के बिना अधूरा पेंशन मामला न भेजे ।
3. सेवा निवृत की बैद्य /अनुप्रमाणित फोटोग्राफस व पारिवारिक सदस्यों की सूची के बिना पेंशन मामला न भेजे ।
4. सेवानिवृति कर्मचारियों की सेवा पंजिका में अद्यतन प्रविष्टियों के दर्ज किये बिना मामला न भेजे ।
5. यदि कोई पिछला सन्दर्भ है तो उसके बिना मामला न भेजे ताकि पेंशन हित लाभ प्राधिकृत में नकल को टाला जा सकें ।
6. मामले को गैर निर्धारित (प्रोफार्मा) प्रपत्र में न भेजे ।

हस्ताक्षर

उप महालेखाकार (पेंशन)